UPEW010060482022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०–1, इटावा।

उपस्थितः नीरज कुमार गर्ग (J.O.Code NO.U.P.1624).....एच.जे.एस

(For Trying Cases Crime Against Women)

प्रतिभू प्रार्थनापत्र संख्या–2052/2022

अमित कुमार उर्फ जीतू, उम्र लगभग–27 वर्ष, पुत्र कमलेश कुमार, निवासी–श्रेष्ठनगर, थाना–भरथना, जिला–इटावा।

––– आवेदक/अभियुक्त

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य।

–––विपक्षी।

अपराध संख्या–232/2022
धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना–भरथना, जिला इटावा।

1– आवेदक/अभियुक्त अमित कुमार उर्फ जीतू की ओर से उपरोक्त वर्णित अपराध में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कृष्णकांत द्वारा थाना भरथना, इटावा में लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि वादी ने उसकी पुत्री अंजली की शादी दिनांक 18.01.2017 को अमित कुमार उर्फ जीतू पुत्र कमलेश कुमार, निवासी नगला धना हाल निवास श्रेष्ठ नगर थाना व कस्बा भरथना जिला इटावा के साथ की थी। शादी में वादी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज़ दिया। शादी के बाद जब उसकी पुत्री अंजली अपने ससुराल से वापस आई तो उसने उसे और उसके घरवालों को बताया कि उसका पति अमित कुमार उर्फ जीतू ने कहा कि आप अपने पिता से बोलो कि रु० 15 लाख या स्कोर्पियो गाड़ी लेकर आओ, नही तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। जब उसकी पुत्री अंजली ने उसे बताया तो उसने बेटी अंजली को समझाया कि हम उनसे बात करेंगे, इसी बीच उसके दामाद अमित कुमार उर्फ जीतू ने उसे बुलाया तो वह और उसका मौसा सुरेन्द्र सिंह उनके घर गये और उनको समझाया उसकी बेटी को परेशान मत करो, तो उसके दामाद अमित कुमार उर्फ जीतू ने उसे और उसके मौसा के सामने वादी से कहा कि जब तक आप रु० 15 लाख या स्कोर्पियो गाड़ी नहीं दोगे, तब तक हम तुम्हारी लड़की को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। इसी दौरान वे समझाते रहे, फिर उसने कई बार में अपनी सामर्थ्य के अनुसार करीब रू० 7 लाख रूपये कई बार में दे भी दिए। कुछ दिन तक बात शांत रही, उसके बाद फिर से अमित कुमार उर्फ़ जीतू उसकी बेटी को मारने–पीटने लगे। किसी तरह से उसकी पुत्री इनके उत्पीड़न को बर्दाश्त करती रही। उसके बाद उसकी बेटी के पुत्री पैदा हुई, तो वह अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सामान लेकर गया, तो इन्होंने हमारा सामान फेंक दिया और बोले, कहां नंगों से रिश्ता हो गया, फिर भी उसने बेटी को समझाया, फिर लगभग 2 साल बाद बेटा पैदा हुआ तो उसे नहीं बुलाया गया, तब भी वह सामान लेकर गया, तब भी हमें बेइज़्ज़त करके भगा दिया गया। पुत्र पैदा होने के 6 माह बाद उसका दामाद अमित कुमार उर्फ जीतू उसकी पुत्री व उसके दोंनो बच्चों को वादी के घर लहरोई थाना भरथना जिला

इटावा छोड़ गये, जो लगभग 8 माह तक उसके घर रही। फिर चन्द भले लोंगो के बीच पंचायत हुई, उन्हीं चन्द भले लोगो के कहने पर उसकी बेटी को उसका दामाद अमित कुमार उर्फ जीतू अपनी जिम्मेदारी पर उसकी बेटी व दोनों बच्चों को अपने साथ दिनांक 30.06.2022 को ले गये। दिनांक 08.07.2022 को उसकी बेटी अंजली की हत्या की सूचना मिलने पर वह अपने परिवार सहित बेटी के ससुराल हाल पता श्रेष्ठ नगर थाना भरथना जिला इटावा पहुंचा, तो देखा उसकी बेटी मृत जमीन पर पड़ी थी, उसके गले व शरीर व सिर में कई प्रकार की चोंटो के निशान थे। जिसे देखकर उसने थाना भरथना को सूचना दी, थाने से पुलिस आई और पंचनामा भरवाकर उसकी बेटी की डेडबॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। उसकी बेटी अंजली को उसके दामाद अमित कुमार उर्फ जीतू पुत्र कमलेश कुमार द्वारा मार डाला गया है। वह बेटी अंजली के अंतिम संस्कार करने के बाद अस्वस्थ व मानसिक संतुलन स्थिर न होने के कारण मृत्यु की दिनांक को प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सका। उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा दर्ज किया गया।

3– अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र कमलेश कुमार कथन किया गया है कि आवेदक को उपरोक्त मुकदमें में फर्जी एवं झूठा फंसाया गया है। मृतका के पिता से बातचीत के दौरान वादी ने अपनी पुत्री से कोई ऐसी गलत बात कहीं, जो मृतका को बर्दाश्त नहीं हुई और मृतका द्वारा स्वंय फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गयी, जबकि आवेदक के घर न तो माँ है और बुजुर्ग दादी है और आवेदक घर पर भी नही था। वादी ने अपने घर जाकर लोगों के बहकावे में आकर प्राथमिकी पंजीकृत करायी है। मृतका अंजली के पोस्टमार्टम में शरीर पर कोई चोट नहीं है। आवेदक ने मृतका को कभी भी अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया और न ही कोई मारपीट की। यदि दहेज मांगने वाली या प्रताड़ित करने की बात होती तो पूर्व में ही कोई प्रार्थना पत्र उपरोक्त मुकदमा के वादी या मृतका द्वारा दिया गया होता। उपरोक्त मुकदमा में मृतका के बाबा करन सिंह का बयान व स्नेहलता जो मृतका की माँ है, उनके बयानों में भी कहीं यह नहीं आया है कि सात लाख रुपये कब और किस तारीख को दिये थे और कब दहेज की मांग की थी। इसी क्रम में राकेश कुमार, अंजूलता के बयानों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि इनके सामने कब और कहाँ पर और किस तारीख को दहेज मांगा गया था व मृतका के चाचा दिव्याकान्त का बयान जो विवेचक ने लिखा है, उसमें भी और गवाहों से विरोधाभाष है। आवेदक के छोटे–छोटे बच्चे है, जो आवेदक के घर पर मौजूद है और आवेदक के अलावा कोई देखरेख करने के लिए मौजूद नहीं है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त कथनों के आधार पर अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

दौरान बहस अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बल देते हुए तर्क किया है कि आवेदक के विरुद्ध झूठा अभियोग लगाया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मृतका ने अपने माता–पिता से कहासुनी के बाद स्वंय फांसी लगाकर, आत्महत्या की है। आवेदक का घटना में कोई रोल नहीं है, उसे मात्र मृतका का पति होने के नाते फंसाया गया है। आवेदक के छोटे–छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखरेख करने वाला, आवेदक के अलावा और कोई नहीं है। उक्त के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने पर बल दिया गया है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है और कहा गया कि आवेदक मृतका को अतिरिक्त दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था तथा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के सात वर्ष के अन्दर ससुराल में मृतका की फांसी लगाकर हत्या कर दी गयी। उक्त कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5– आवेदक के विरुद्ध गंभीर धारा का साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले में आवेदक की संलिप्तता का साक्ष्य संकलित किया गया है। मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। घटना घटित होने के समय मृतका अपने पति/आवेदक के साथ ससुराल में रह रही थी। अतः वैधानिक उपधारणा प्रथम रूप से पति/आवेदक के विरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध दहेज मांगने व मांग पूरी न होने के कारण मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने का गंभीर आरोप है। इस स्तर पर मामलें की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है, तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अमित कुमार उर्फ जीतू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 23.11.2022

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०–1, इटावा।
(For Trying Cases Crime Against Women)